

## न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या— 88/2017

बउनवान

रामरतन उम्र 50 वर्ष पुत्र श्री रामनाथ जाति—बैरवा, निवासी—पापडली  
तहसील—मोंगरोल जिला—बारां

(अपीलांट)

सत्यमेव जयते  
बनाम

राजस्थान सरकार जयें नायब तहसीलदार, सीसवाली

(रेस्पोंडेंट)

### अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—1. श्री कमलदीप सिंह हाडा, अभिभाषक  
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)

(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 18.01.2018

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 10.03.2017 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—पापडली, तहसील—मोंगरोल की आराजी खसरा नम्बर 127 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म बंजड पर अतिकमी मानकर 125/—रूपये अर्थदण्ड एवं 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून पुत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं कानूनी मान्यता प्राप्त सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व मौके पर कब्जे बाबत कोई पुष्टि नहीं की, पडौसी खेत वालो की कोई साक्ष्य रेकार्ड पर नहीं लेकर मात्र पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को सुनवायी एवं जवाबदेही का अवसर दिये बिना एकतरफा निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में इस बाबत शपथ पत्र पत्र किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा आदेश पारित करने में भारी भूल की है। अतः निर्णय एवं दंडादेश निरस्त फरमाया जाकर, दोषमुक्त घोषित किया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं देकर एकतरफा निर्णय पारित किया है। अपीलांट नोटिस की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ था तथा जुर्माना राशि जमा करायी थी। उस दिन सजायाब आदेश से अपीलांट को अवगत नहीं कराया था। निर्णय बाद में लिखा गया है जिसकी जानकारी अपीलांट को नहीं है। वारंट जारी

जिला कलक्टर  
बारां (राज०)

होने से जानकारी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन कराते हुये व्यक्त किया कि अपीलांट के अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.03.2017 को उपस्थित होने के उपरान्त भी एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है, जो निर्णय से स्पष्ट होता है। अपीलांट का विवादित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है, जानकारी होने पर कब्जा छोड़ रखा है। अपीलांट उक्त आराजी पर कभी भी अतिचार नहीं करने के लिय वचनबद्ध है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.03.2017 निरस्त फरमाया जावे।


इसके विपरीत परोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 245/16 निर्णय दिनांक 22.3.2016 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व परोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट उपस्थित हुआ है अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिया गया है। अपील में अपीलांट का यह कथन कि निर्णय आदेशिका दिनांक 10.3.2017 में एकपक्षीय कार्यवाही लिखा गया है, अपीलांट का उक्त कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। विवादित आराजी सिवायचक बंजड है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिचार करने पर पूर्व में मिसल नम्बर 245/16 निर्णय दिनांक 22.03.2016 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान कर, अपीलांट प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर, उक्त आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के आदेश दिनांक 10.03.2017 के कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सीसवाली का आदेश दिनांक 10.03.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.01.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



  
(डॉ०एस.पी.सिंह)  
जिला कलक्टर बारां  
जिला कलक्टर  
बारां (राज०)